

// निर्णय //

(आज दिनांक 3/10/17 को घोषित)

10/10/17
10/10/17
10/10/17

01. आरोपी को स्वेच्छिक संस्वीकृति के आधार पर उसे मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 MV Act के

तहत दण्डनीय अपराध का दोषी पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

02. दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया। आरोपी के विरुद्ध अभिलेख पर कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलिखित नहीं है। अतः आरोपी की संस्वीकृति एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये आरोपी देवेन्द्र सिंह प्रकाश सिंह गुजर को

मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 MV Act के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए न्यायालय उठने तक का कारावास एवं कमरा सशि रुपये 1500/- कुल

रु0 (एक हजार पाँच सौ) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

03. अर्थदण्ड संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को दिवस की अवधि के साधारण कारावास से भुगताया जावे।

04. जप्तशुदा सम्पत्ति वाहन 10/10/17 को

CHASSIS No - MA3KWD E1 को उसके पंजीकृत स्वामी को लौटाया जाये।

500784723

Engine No - K10BN 740 1632

मेरे निर्देशन पर टंकित

A.K. Gupta
Judicial Magistrate first class,
Gonad Dist. Bhind (M.P.)